

## जैकेट व फ्रंट पेज का शेष

### भूमि अधिग्रहण ...

लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने रिकॉर्ड देखते हुए पाया कि यह प्राधिकरण पिछले कई वर्षों से पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा है। इस पर अदालत ने कहा कि प्राधिकरण का गठन और टालने लायक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह काम अगले दो महीनों के भीतर पूरा किया जाए, नहीं तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

-----